



पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० एवं हक०)-द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग ३०प्र०, प्रयागराज

Phones: Off. 2622625-26 Fax: 0532-2624402

पत्रांक- पेंशन विविध/DRY No.- 89064, 80120

दिनांक :-

सेवा में,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,

समस्त कोषागार को ई-मेल द्वारा भेजा गया।

विषय :- अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान।

महोदय,

इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेशों की प्रतियां प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार संबन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दर एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगी :-

क्रमांक	राज्य का नाम	विषय / दर / प्रभावी तिथि	शासनादेश का सन्दर्भ
1	BIHAR	बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन / गेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ का दिनांक 01/01/2016 के प्रभाव से निर्धारण / पुनरीक्षण एवं भुगतान के सम्बन्ध में।	GO No.- 3ए-2वे०पु०-02/2023-6649/वि० दिनांक 28/07/2023
2	JAMMU & KASHMIR	Payment of Dearness Relief to Pensioners / Family Pensioners on revised rate w.e.f. - 01.07.2023 (42% to 46%)	GO No. 233-F of 2023 दिनांक 12.12.2023

आपसे अनुरोध है कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, संबन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं इस कार्यालय को भी सूचित करें। उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी प्रति प्रेषित करें।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/

Copy forwarded for information and necessary action to:-

dated :-

SL.	Name of the Office & Address
1	O/o the Principal Accountant General (A&E)-Bihar, Birchand Patel Path, Patna – 800001
2	Office of The Principal Accountant General (A&E) –Jammu & Kashmir, M.Y. Rather Avenue, Exhibition Ground, Opp. New Sectt., Srinagar-190001
3	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10 th Floor, Lucknow 226001
4	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
5	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
6	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
7	Sr. Accounts Officer, Computer Cell , O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, 20 Sarojini Naidu Marg, Prayagraj-211001

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

दूरभाष, Telephone-2223251
2225766, 2224812



SP
BF 50913023414

फैक्स / Fax - 0612-2221056
तार | Gram : ACCOUNTS
Tele

प्र० महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार,
पटना

OFFICE OF THE Pr. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Pen-9 - 3029
संख्या :-
Date: 09/01/2021
दिनांक:- 2024

To,
The

1	Principal Accountant General (A&E), Andhra Pradesh, Saifabad, Hyderabad	500004
2	Director of Audit & Pension Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun	791110
3	Accountant General (A&E), Assam, Guwahati, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
4	Accountant General (A&E), Jharkhand, Ranchi	834002
5	Deputy Director of Accounts/P.L.I. Govt. Of Goa, Director of Accounts, pension Section, Panji, Goa	403101
6	Accountant General (A&E), Chhatisgrah, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
7	Accountant General (A&E), Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhawan, Navarangpura, Ahmedabad	380009
8	Accountant General (A&E), Harayana, Lekhabhawan, Plot No. 4&5, Sector-33-B, Chandigrah	160047
9	Senior Deputy Accountant General (A&E), Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shmila	171003
10	Pr. Accountant General (A&E), Jammu & Kashmir, Near Exhibition Ground, Srinagar	190009
11	Pr. Accountant General (A&E),Karnatka, residency Parm Road, Post Box No.5 Bangalore	560001
12	Accountant General (A&E), Kerla, Post Box No. 5607, M.G. Road, Thiruvananthapuram	695039
13	Accountant General (A&E), Madhya Pradesh, Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior	474002
14	Pr. Accountant General (A&E), Maharashtra, 2 nd Floor, Pratishtha Bhawan, New Marine Lines, Maharshi Karv, Mumbai	400020
15	Accountant General (A&E), Maharashtra, West High Court Road, Civil Line. Nagpur	440001
16	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Manipur, Imphal	795001
17	Accountant General (A&E), Meghalaya, Shilong	793001
18	Accountant General (A&E), Mizoram, Shri Bualhranga Buildighn, Dinthar, Aizawl	796001
19	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Nagaland Kohima	797001
20	Accountant General (A&E), Orissa, Bhuneshwar	751001
21	Accountant General (A&E), Punjab & Union Territory of Chandigrah, Sector- 17E, Chandigarh	160017
22	Pr. Accountant General (A&E), Rajasthan, Bhawagan Das Road, Jaipur	302005

23	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Sikkim, Lekha Pariksha Bhawan, Deoria, PO- Tadong, Gangtok	737102
24	Accountant General (A&E), Tamil Nadu, 361, Anna Salai, Teynampet, Chennai	600018
25	Sr. Deputy Accountant General (A&E), Tripura, PO- Kunjanban, Agartala	799006
26	Accountant General (A&E), Uttar Pradesh, 20, Sarojni Naidu, Marg, Allahabad	211001
27	Accountant General (A&E), Uttarakhand, Dchradun, Oberoy Motor Building, Saharanpur Road Majram, Dehradun	248171
28	Pr. Accountant General (A&E), West Bengal, Treasury Building, No.- 2, Govt. Place (West), Kolkata	700001
29	Director of Accounts and Treasuries, Govt. of Pondicherry, Pondicherry	605001
30	Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, 3 rd Floor, Akbar Bhawan, New Delhi	110007
31	Pay & Accounts Officer(V), Delhi Administration, TIS Hazari, New Delhi	110124
32	Chief Controller of Accounts, M/o External Affairs to the Indian Mission, Kathmandu, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi	110021

Subject: Grant of Dearness Relief/ Medical Allowance/ Revision of pension/ amendment of pension rules of state government pensioner.

Reference: Government resolution No. 3A/2/2023-6649/20.18719-28/07/23


Sir,

I am to forward herewith Hindi/ English version of copy of Govt. of Bihar resolution mentioned above for your needful action. You are requested to circulate this order to all concern pensions disbursing authority under your jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same.

Enclosure: Resolution of Government of Bihar.

Yours faithfully


Sr. Accounts Officer

बिहार सरकार
वित्त विभाग
संकल्प

पटना, दिनांक-28/07/2023

विषय:- बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ का दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से निर्धारण/पुनरीक्षण एवं भुगतान के संबंध में।

द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण का निर्णय संकल्प संख्या-9154, दिनांक-28.09.2022 के द्वारा लिया गया है।

2. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा वेतन, पेंशन, सेवान्त लाभ, भत्तों के संबंध में की गई अनुशंसा के उपरान्त, रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-643/2015, ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स एवं एस०एल०पी० (सिविल) संख्या-6471-6473/2020 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा राज्य न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए वेतन एवं पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभों पर दिनांक-19.05.2023 को आदेश पारित किया गया है।

3. द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-643/2015 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु राज्य न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नरूपेण निर्णय लिया गया है:-

बिहार न्यायिक सेवा के सेवा निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवान्त लाभ से संबंधित प्रावधान दिनांक-01.01.2016 से प्रभावी होगा।

दिनांक-01.01.2016 के बाद सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

(iii) दिनांक-01.01.2016 के पूर्व के पेंशनर/परिवार पेंशनर के पेंशन का पुनरीक्षण निम्नवत् दो सूत्रों के आधार पर किया जायेगा।

(क) दिनांक-31.12.2015 को प्राप्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि में 2.81 का स्थिर गुणक से गुणा कर पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि का निर्धारण किया जायेगा।

(ख) संबंधित पदाधिकारी की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को उनके वेतनमान/वेतनस्तर में प्राप्त मूल वेतन को सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि के पश्चात् सभी अनुवर्ती वेतन आयोग/समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रतिस्थानी वेतनमान/वेतनस्तर में पारिवारिक निर्धारण करते हुए दिनांक-01.01.2016 को शिड्यूल-11 के संगत प्रक्रम का

RW 3159080,
Sen 29/11/23 01/11/66

Sen

A. G. B.
29 NOV 2023
PATNA

P-01
4

Smidamdhur m
Smi Dildip

28/07/2023

50 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत क्रमशः पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन के रूप में निर्धारित किया जायेगा।

उपर्युक्त दोनों सूत्रों से प्राप्त राशि में से जो अधिक लाभकारी होगा वह अंतिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में स्वीकृत किया जायेगा।

- (ग) पूर्ण पेंशन के लिए, पूर्व से विहित, 20 वर्षों की अर्हक सेवा अनिवार्य होगी। 20 वर्ष से कम किन्तु 10 वर्ष से अधिक सेवा होने पर आनुपातिक रूप से पेंशन परिकलित किया जायेगा।
- (iv) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि उनके नियुक्ति, प्रोन्नति एवं वित्तीय उन्नयन की तारीख के अनुसार वर्ष में एक बार निर्धारित होगा। पूर्व में निर्गत वित्त विभागीय संकल्प संख्या-9154, दिनांक-28.09.2022 की कड़िका-4(छ) को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। ऐसे न्यायिक पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के अगली तिथि को वेतन वृद्धि परिपक्व होती हो, उन्हें उक्त वेतन-वृद्धि का वैचारिक लाभ, ₹2,24,100/- की वेतन सीमा के अधीन, मात्र सेवान्त लाभ हेतु अनुमान्य होगा।
- (v) 'बार' से सीधे बिहार उच्च न्यायिक सेवा में नियुक्त वैसे पदाधिकारी जो दिनांक-01.01.2016 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हों, को वास्तविक पेंशन प्रदायी सेवा में उनके द्वारा वकील के रूप में की गई प्रैक्टिस अवधि अथवा अधिकतम 10 वर्ष, दोनों में से जो कम हो, जोड़ कर पेंशन की गणना की जाएगी। उपर्युक्त लाभ के लिए आवश्यक होगा कि सेवा से मुक्त होते समय कम से कम 10 (दस) वर्ष की स्थाई सेवा पूर्ण हो।
- (vi) सी०सी०एस० (पेंशन) रूल्स 1972 के नियम-54 के अनुसार पारिवारिक पेंशन, न्यायिक सेवा के पदाधिकारी एवं उनकी पत्नी के मृत्यु उपरांत परिवार के योग्य आश्रितों को 30 प्रतिशत की दर से भुगतये होगी। इस हेतु पात्र होने के लिए परिवार के योग्य आश्रितों की आय 30 हजार रुपये प्रतिमाह से कम होनी चाहिए।
- (vii) अधिसूचना संख्या-जी०एस०आर० 673(इ), दिनांक-19.09.2019 द्वारा सी०सी०एस० (पेंशन) रूल्स-1972 के नियम-54 (3), में किये गये संशोधन के अनुरूप पारिवारिक पेंशन का लाभ आश्रितों को प्राप्त होगा।
- (viii) (क) दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से पेंशन/पारिवारिक पेंशन के लिए उग्र के आधार पर अतिरिक्त पेंशन निम्न प्रकार से देय होगा।

क्र. सं.	पेंशनधारी/पारिवारिक पेंशनधारी की उग्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1	75 वर्ष एवं अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
2	80 वर्ष एवं अधिक किन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
3	85 वर्ष एवं अधिक किन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
4	90 वर्ष एवं अधिक किन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 60%
5	95 वर्ष एवं अधिक किन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 80%

6	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%
---	------------------------	--

नोट:- उपरोक्त तालिका में 'वर्ष' का तात्पर्य पूर्ण वर्ष से है।

(ख) वित्त विभागीय संकल्प संख्या-7514, दिनांक-23.07.2013 के द्वारा जिन बिहार न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को पूर्व में 70-75 वर्ष के आधार पर अतिरिक्त पेंशन राशि अनुमान्य किया गया है, उसका पुनरीक्षण दि०-01.01.2016 के प्रभाव से उपरोक्त तालिका के अनुसार किया जाएगा। परंतु पूर्व में प्राप्त अतिरिक्त पेंशन की राशि वसूलनीय नहीं होगी।

(ix) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान :-

(क) सेवानिवृत्ति उपादान सी०सी०एस० (पेंशन) रूल्स-1972 के नियम 50(1)(a) के अनुसार गणनीय होगा।

(ख) मृत्यु उपादान की गणना निम्न तालिका के अनुसार की जाएगी।

सेवा की अवधि	मृत्यु उपादान की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 2 गुना
01 वर्ष या अधिक परंतु 5 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 6 गुना
05 वर्ष या अधिक परंतु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक परंतु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या अधिक	सेवा अवधि की प्रत्येक छमाही हेतु परिलब्धियों का आधा, जो परिलब्धियों का 33 गुणा से अधिक न हो।

(ग) मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, महंगाई भत्ता की दर 50 प्रतिशत से अधिक होने पर उपरोक्त सीमा में 25 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(घ) वैसे पदाधिकारी जिन्हें अपुनरीक्षित दर के आधार पर उपादान का भुगतान किया गया है, उन्हें दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से वेतन पुनरीक्षण के उपरांत उपादान के अंतर राशि का भुगतान किया जाएगा।

4. पेंशन/परिवार पेंशन, अतिरिक्त पेंशन, उपादान तथा अन्य सेवांत लाभ के बकाये का 25 प्रतिशत का भुगतान दिनांक-31.08.2023 तक, अगला 25 प्रतिशत दिनांक-31.10.2023 तक एवं शेष 50 प्रतिशत का भुगतान दिनांक-31.12.2023 तक किया जायेगा।

5. बिहार न्यायिक सेवा के सेवा-निवृत्त पदाधिकारियों का पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवांत लाभ का दिनांक-01.01.2016 के प्रभाव से निर्धारण/पुनरीक्षण एवं भुगतान किया जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

21-11-2023

(लोकेश कुमार सिंह)

सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023 6649 /वि० पटना, दिनांक-28/07/2023
 प्रतिलिपि-महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना,
 बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
 सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023- 6649 /वि० पटना, दिनांक-28/07/2023
 प्रतिलिपि- महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा /
 सचिव, बिहार विधान परिषद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
 सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023- 6649 /वि० पटना, दिनांक-28/07/2023
 प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमंडलीय,
 आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा
 पदाधिकारी/ प्रभाषी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/अवर सचिव, वेतन निर्धारण
 प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभाषी
 ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(लोकेश कुमार सिंह)
 सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

ज्ञापांक-3ए-2-वे०पु०-02/2023- 6649 /वि० पटना, दिनांक-28/07/2023
 प्रतिलिपि- सहायक महाप्रबंधक (सरकारी व्यवसाय विभाग), स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया,
 स्थानीय प्रधान कार्यालय पश्चिमी गाँधी मैदान, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, केनरा बैंक, एकजीबिशन
 रोड, (लव कुश टॉवर), पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, भौर्या लोक
 कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूको बैंक, भौर्या लोक कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक-ए,
 पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, इलाहाबाद बैंक, बुद्ध मार्ग, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, पंजाब नेशनल बैंक,
 चाणक्या प्लेस, आर० ब्लॉक, पटना/क्षेत्रीय प्रबंधक, यूनाईटेड बैंक ऑफ इण्डिया, श्री राम
 भवन, पाम ट्री के सामने, पटना/रिजनल मैनेजर, यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, फ्रेजर रोड,
 पटना/ क्षेत्रीय प्रबंधक, बैंक ऑफ इण्डिया, आर० ब्लॉक, चाणक्य टॉवर, पटना को सूचना एवं
 आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


51-3218/2023

(लोकेश कुमार सिंह)
 सचिव (संसाधन), वित्त विभाग

SCHEDULE-II (FITMENT)

क्र.सं.	अपुनरीक्षित प्रक्रम (दि० 01.01.96 से 31.12.05 तक)	अपुनरीक्षित प्रक्रम (दि० 01.01.06 से 31.12.15 तक)	दिनांक-01.01.2016 से पुनरीक्षित प्रक्रम
1	9000	27700	77840
2	9250	28470	80180
3	9500	29240	82590
4	9750	30010	85070
5	10000	30780	87620
6	10250	31550	90250
7	10500	32320	92960
8	10750	33090	95750
9	11050	34010	95750
10	11350	34930	98620
11	11650	35850	101580
12	11950	36770	104630
13	12250	37690	107770
14	12550	38610	111000
15	12850	39530	114330
16	13150	40450	114330
17	13500	41530	117760
18	13850	42610	121290
19	14200	43690	124930
20	14550	44770	128680
21	14900	45850	132540
22	15250	46930	132540
23	15600	48010	136520
24	15950	49090	140620
25	16350	50320	144840
26	16750	51550	149190

27	17150	52780	149190
28	17550	54010	153670
29	17950	55240	158280
30	18350	56470	163030
31	18750	57700	163030
32	19150	58930	167920
33	19600	60310	172960
34	20050	61690	178150
35	20500	63070	178150
36	20950	64450	183490
37	21400	65830	188990
38	21850	67210	188990
39	22350	68750	194660
40	22850	70290	199100
41	23350	71830	205070
42	23850	73370	211220
43	24350	74910	217560
44	24850	76450	224100


 21-12-2023
 श्री-परिचालक



INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E), J&K, SRINAGAR



No: Pen A/c/2023-24/DA/2182-2215

Date :-

Under Special Seal,

To,

20 FEB 2024

1	The Accountant General,, (A&E) Andhra Pradesh & Telangana, Saifabad, Hyderabad	500004
2	The Accountant General,, (A&E) Assam, Maidamgaon, Beltola, Guwahati	781029
3	The Accountant General,, (A&E) Arunachal Pradesh, MOWB-II, Itanagar	791110
4	The Accountant General,, (A&E) Bihar, Birchand Patel Path, Patna	800001
5	The Accountant General,, (A&E) Chhattisgarh, 12/27, Raman Mandir Ward, Bilaspur Road, Fafidih, Raipur	492009
6	The Director, Directorate of Accounts, Pension Section, Behind Old Secretariat Building, Panaji, Goa	403001
7	The Accountant General,, (A&E) Gujarat, Race Course Road, Raikot	360001
8	The Accountant General,, (A&E) Gujarat, Ahmedabad Branch, Audit Bhavan, Navrangpura, Ahmedabad	380009
9	The Accountant General,, (A&E) Haryana, Plot, No.4-5, Sector 33B , Chandigarh	160047
10	The Accountant General,, (A&E) Himanchal Pradesh, Gorton Castle Building, Shimla	171003
11	The Accountant General,, (A&E) Jharkhand, P.O. Dorana, Ranchi	834002
12	The Accountant General,, (A&E) Karnataka, P.O. 5329/5369, Park House Road, Bangalore	560001
13	The Accountant General,, Kerala Thiruvanthapuram	695039
14	The Accountant General,, (A&E) Madhya Pradesh Gwalior	474002
15	The Accountant General,, (A&E)-I Maharashtra 101 MK Road Old CGO Building New Marine Line Mumbai	400020
16	The Accountant General,, (A&E)-II Maharashtra West High Court Civil Line Nagpur	440001
17	The Accountant General,, (A&E) Manipur Imphal	795001
18	The Accountant General,, (A&E) Meghalaya Shillong	793001
19	The Accountant General,, (A&E) Mizoram Aizawal	796001
20	The Accountant General,, (A&E) Nagaland, Kohima	797001
21	The Accountant General,, (A&E) Orissa Bhubaneshwar	751001
22	The Accountant General,, (A&E) Punjab Sector-17-E Chandigarh	160017

(Handwritten signature)

SSR 201
18/03/23



Admin

AG-II

*HA
14/02
AAc/RM*

86920
11/3/24

80120
18/3/24
Pen (misc)

23	The Accountant General,, (A&E) Rajasthan Jaipur	302005
24	The Accountant General,, (A&E) Sikkim LekhaParikshaBhavanDeorali, Gangtok	737102
25	The Accountant General,, (A&E) Tamil Nadu 361 Anna Salai Chennai	600018
26	The Accountant General,, (A&E) Tripura P.O. KunjavanAgartala	799006
27	The Accountant General,, (A&E)-I Uttar Pradesh 20 Sarojani Nagar Marg Allahabad	211001
28	The Accountant General,, (A&E)-II Uttar Pradesh Audit BhavanVibhutiKhand Gomati Nagar Lucknow	226010
29	The Accountant General,, (A&E)UttarakhandOberai Motor Building Saharanpur Road Majra Dehradun	248171
30	The Accountant General,, (A&E) West Bengal Tresury Buildings Kolkata	700001
31	The Pay & Accounts Officer (V) Government Of NCT of Delhi Tis Hazari New Delhi	110124
32	The Chief Controller of Accounts Ministry of External Affairs to the Indian Mission Kathmandu Akbar BhavanChankyapuri New Delhi	110007
33	The Pay & Accounts Officer Indian Embassy Military Wing Pension Paying Branch Kathmandu Pokhra Ward No.10, Nepal	532712
34	The Director, Directorate of Accounts & Treasuries Government of Ponducherry, Ponducherry	605001

Subject:- Payment of Dearness Relief to Pensioners/Family Pensioners on revised rate w.e.f 01.07.2023.

Sir,

Apropos to the subject above, it is requested to kindly download the order No.233-F of 2023 dated 12.12.2023 regarding the enhancement of DA rates from 42% to 46% effective from 01.07.2023 onwards, admissible to JK UT Pensioners/Family Pensioners, from the official website <http://www.jkfinance.nic.in/>.

It is therefore requested to kindly forward the same to the pension disbursing authorities under your jurisdiction.

Yours Faithfully

Sr.Accounts Officer

(23/11/2023)